

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110049

No. 02/NIP/SFSC/DDA/2024-25

Dated:22.03.2025

NIP No. 02 /NIP/SFSC/DDA/2024-25

सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैराकी कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (एसएफएससी) का स्विमिंग पूल जल्द ही जनता के लिए खुलने की संभावना है। स्विमिंग पूल में कोचिंग देने की आवश्यकता है। प्रमुख खेल परिसरों/मनोरंजक क्लबों आदि में तैराकी कोचिंग आयोजित करने में पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्तियों/एजेंसियों से सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए, नई दिल्ली में तैराकी कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कोचिंग सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कॉम्प्लेक्स द्वारा अधिसूचित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह में छह दिन आयोजित की जानी है। कोच प्रदान करने के लिए व्यक्ति/एजेंसी को तैराकी में विशेष विशेषज्ञता होनी चाहिए और कोच को की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

कोचिंग हेतु अनुबंध प्रदान करने के लिए बोर्ड की नियम एवं शर्तें नीचे दिए गए पैराग्राफ में उल्लिखित हैं:

पूर्व-योग्यता मानदंड

1. जिन व्यक्तियों/एजेंसियों को प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्राप्त होने वाले ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पार्टी को नोटिस दिए बिना तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जिसे प्रतिबंधित किया गया है, उसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने/किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी व्यक्ति/एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो।
2. कोई भी व्यक्ति/एजेंसी जो प्रतिबंधित कोच(ओं) को नियुक्त करती है, उसे भी रेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिबंधित किया जा सकता है और उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति/एजेंसी को पूल के डेक क्षेत्र के लिए मानव शक्ति प्रदान करने का ठेका दिया गया है, तो उसे उसी परिसर में कोचिंग के लिए नहीं माना जाएगा। यदि कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

योग्यता एवं अनुभव

4. आवेदक ने पिछले तीन वर्षों में सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों/या प्रतिष्ठित निजी एजेंसियों द्वारा संचालित पूल/क्लब/स्कूल/संस्थाओं में समान प्रकृति के दो कार्य निष्पादित किए हों, जिनके पास ऐसे संस्थानों को चलाने के लिए सरकारी अनुमोदन है। विभाग/संस्था से अनुभव का प्रमाण पत्र बोली के साथ संलग्न किया जाएगा। यदि अनुभव किसी स्कूल से है, तो स्कूल को यह प्रमाणित करना चाहिए कि पूल या तैराकी सुविधा उसके परिसर में थी या उसके द्वारा संचालित थी। दावे के समर्थन में प्रशंसापत्र संलग्न करना होगा।

5. कोचिंग देने के लिए जिन कोचों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, उन्हें SAI/NIS/YMCA/सेना/नौसेना/वायु सेना खेल संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से कोचिंग योग्यता प्राप्त करनी होगी। यदि प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी की साख सत्यापित नहीं है, तो DDA उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदक को सभी कोचों के सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि आवेदक दो साल या उससे अधिक समय तक किसी तैराकी स्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियन रहा है या उसने तीन या अधिक अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो DDA द्वारा मानदंडों में छूट दी जा सकती है। इस तरह की भागीदारी का प्रमाण आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कोचिंग अनुभव तीन साल से कम नहीं होना चाहिए। कोचिंग आयोजित करने का प्रमाण उस संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए, जहाँ व्यक्ति द्वारा कोचिंग आयोजित की गई थी।
6. उन कोचों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो। प्रस्ताव के साथ प्रशंसापत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
7. उन योग्य व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो परिसर में व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देने का कार्य करेंगे।

पुरस्कार की शर्तें

8. पुरस्कार की अवधि छह महीने या उससे कम होगी, जो औपचारिक पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने की तिथि और पूल के बंद होने की तिथि पर निर्भर करेगी। डीडीए पूल को निर्धारित समय से पहले बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे किसी भी बंद होने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
9. कोचिंग का समय, अवधि आदि परिसर के सचिव द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगी।
10. एक शिफ्ट में प्रत्येक 10 प्रशिक्षुओं के लिए एक कोच होगा। यदि प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ जाती है, या किसी अन्य कारण से परिसर को आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति/एजेंसी अल्प सूचना पर अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराएगी।
11. किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
12. कोच/व्यक्ति/एजेंसी को अपना काम कॉम्प्लेक्स के सचिव के आदेश/निर्देशों के अनुसार करना होगा। मौखिक निर्देश सहित जारी किए गए सभी निर्देश और आदेश, सभी प्रस्तावों के लिए व्यक्ति/एजेंसी को जारी किए गए माने जाएंगे।
13. कोच को कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों/प्रतिभागियों के प्रति विनम्र और शिष्ट होना चाहिए। कार्य सौंपे जाने वाले व्यक्ति/एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका स्टाफ सभी उपयोगकर्ताओं के प्रति उचित शिष्टाचार और शिष्टाचार बनाए रखेगा और स्विमिंग पूल में संचालन के लिए अनुकूल वातावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।
14. सदस्यों से संबंधित समस्याओं या कठिनाइयों को परिसर के कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कोच ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो परिसर में शिष्टाचार के विरुद्ध हो। अनुशासन भंग करने/सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मामलों की भी परिसर प्रशासन को तुरंत सूचना दी जाएगी और यदि आवश्यक हो तो बाद में लिखित रूप में भी सूचित किया जाएगा।
15. यदि किसी कोच का आचरण संतोषजनक नहीं है या अनुशासन का उल्लंघन हुआ है तो परिसर उसे हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
16. कोच को कॉम्प्लेक्स सचिव द्वारा अनुमोदित वर्दी पहननी चाहिए। बिना वर्दी के उपस्थित होने वाले कोच को ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा।

17. तैराकी कोचिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं को किसी भी चोट/जीवन की हानि/अप्रिय घटना के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। कोच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सभी सुरक्षा सावधानियाँ बरती जाएँ और यदि ऐसी स्थिति उसके नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न होती है तो वह उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो।
18. सभी कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन और परिसर के सचिव की पुष्टि के बाद ही रखा जाएगा।
19. डीडीए द्वारा निर्धारित कोचिंग शुल्क, जिसकी पुष्टि कॉम्प्लेक्स से की जा सकती है, डीडीए द्वारा प्रशिक्षुओं से प्रति घंटा प्रति माह निर्धारित दर के अनुसार वसूला जाएगा। इसमें पूल के उपयोग के लिए कोई भी शुल्क शामिल नहीं है जो कोचिंग अनुबंध के दायरे में नहीं आता है।
20. कोचिंग का समय और अवधि डीडीए की कोचिंग नीति के अनुसार होगी और इसे डीडीए के विवेक पर बदला जा सकता है।
21. कोच निर्धारित घंटों में उपस्थित रहेगा और यदि कोच इयूटी से अनुपस्थित पाया जाता है तो व्यक्ति/एजेंसी पर ₹1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोच अपने नियंत्रण से परे कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ है या उसे अनुपस्थिति की छुट्टी की आवश्यकता है तो सचिव से लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी और प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाएगा। डीडीए कोच को भुगतान किए गए हिस्से से किसी भी अनुपस्थिति के लिए आनुपातिक राशि काटने के लिए उत्तरदायी है, जो एक बार में दो दिन से अधिक और अनुबंध की पूरी अवधि में 10 दिन से अधिक है।
22. कोच/कर्मचारी द्वारा व्यक्ति/एजेंसी के कार्य पर रहने की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी हानि/क्षति/चोरी की जिम्मेदारी व्यक्ति/एजेंसी की होगी और डीडीए व्यक्ति/एजेंसी से राशि वसूलने का हकदार होगा।
23. कोचिंग 50:50 के अनुपात में राजस्व साझाकरण के आधार पर होगी (50% व्यक्ति/एजेंसी को और 50% डीडीए को)। कोचिंग अवधि के दौरान एक महीने के दौरान एकत्रित शुल्क क्रमशः व्यक्ति/एजेंसी और कॉम्प्लेक्स के बीच साझा किया जाएगा। कोचिंग के महीने के अंत के बाद व्यक्ति/एजेंसी का हिस्सा मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
24. व्यक्ति/एजेंसी/कोच को सभी भुगतान केवल चेक के माध्यम से किए जाएंगे। कोच/व्यक्ति/एजेंसी को देय हिस्से से आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
25. आवश्यक कटौतियों के बाद कोचिंग का लाभ उठाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या के लिए हकदार हिस्से को छोड़कर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
26. सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कोच या ऐसे ही अन्य कर्मचारी व्यक्ति/एजेंसी के कर्मचारी होंगे। व्यक्ति/एजेंसी ऐसे कर्मियों को सभी स्वीकार्य और/या अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी तरह से व्यक्ति/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों के किसी भी दावे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
27. जहां कोई व्यक्ति/एजेंसी कोच उपलब्ध कराने का कार्य करती है, उसे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोच(ओं) को भुगतान दावे की अवधि के दौरान लागू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रसारित दरों के अनुसार किया गया है।
28. प्रस्तावक एतद्वारा स्वीकार करता है कि उसने आज तक संशोधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है, जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ईपीएफ योजना, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि शामिल हैं, तथा यह सुनिश्चित करने का वचन देता है

कि उक्त विधियों के सभी वैधानिक प्रावधानों और एक ओर निविदाकार/ठेकेदारों और दूसरी ओर उनके कर्मचारियों के बीच नियुक्ता, कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करने वाले सभी अन्य वर्तमान लागू विधियों का अनुपालन किया जाएगा। यहां पक्षों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है और स्वीकार किया है कि डीडीए किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन या अन्यथा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और निविदाकार/ठेकेदार उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों और निविदाकार/ठेकेदारों और उनके/उनके कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन के सभी परिणामों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे और डीडीए की कोई बाध्यता नहीं होगी और डीडीए को उपरोक्त कानूनों के समर्थन या अन्यथा के लिए निविदाकार/ठेकेदारों के कर्मचारी के साथ निजी तौर पर संपर्क नहीं करना होगा।

29. कोच या व्यक्ति/एजेंसी की ओर से किसी चूक की स्थिति में, आयुक्त (खेल) के आदेश कोच/व्यक्ति/एजेंसी पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे तथा किसी भी फोरम के समक्ष उन पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में, उचित नोटिस देने और व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में सुनवाई के बाद आयुक्त (खेल) के आदेश कोच/व्यक्ति/एजेंसी पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज़

30. प्रस्ताव में व्यक्ति का संक्षिप्त बायोडेटा, पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंकों के लिए केवाईसी मानदंडों के अनुसार निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, कोचिंग प्रमाण पत्र की प्रतियां शामिल होनी चाहिए। खेल उपलब्धियों के प्रमाण पत्र, यदि कोई हों, तो उन्हें भी संलग्न किया जाना चाहिए।
31. आवेदक और प्रतिनियुक्त किये जाने वाले प्रत्येक कोच की पासपोर्ट आकार की दो-दो तस्वीरें प्रस्तुत करनी होंगी।
32. किसी व्यक्ति/एजेंसी के मामले में, स्वामित्व विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों के आयकर रिटर्न संलग्न किए जाएंगे। किसी कंपनी के मामले में, निदेशकों और प्राथमिक शेयरधारकों की सूची के साथ-साथ आरओसी को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न संलग्न किया जाना चाहिए।
33. व्यक्तिगत आवेदकों को पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न तथा पिछले चार वर्षों में कम से कम दो मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत करने होंगे।
34. संलग्न चेकलिस्ट विधिवत रूप से पृष्ठांकित करके प्रस्तुत की जाएगी।

प्रस्ताव पर विचार

35. अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत प्रस्ताव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
36. किसी भी सशर्त प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। Any Proposal received post/courier etc. shall be rejected.
37. प्रस्ताव की वैधता सीलबंद प्रस्ताव को खोलने की तारीख से 60 दिन तक होगी।
38. आयुक्त (खेल) को बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इसे किसी भी मंच, अदालत या कानून आदि के समक्ष संदिग्ध नहीं माना जाएगा।

प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.03.2025 दोपहर 3:00 बजे तक है। प्रस्ताव को सीलबंद लिफाफे में रखकर निम्नलिखित पते पर परिसर के रिसेप्शन पर उपलब्ध निविदा बॉक्स में रखा जा सकता है।

सचिव,

सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए

अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049

टेलीफोन: 011 -26496286

ईमेल: sfsccda@yahoo.co.in

प्रस्ताव को उसी परिसर में अपराह्न 25.03.2025 3:30 बजे उन सभी लोगों की उपस्थिति में खोला जाएगा जिन्होंने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

आर.ई/एसएफएससी

प्रतिलिपि: (ईमेल के माध्यम से):

1. सचिव (समन्वय), खेल विंग
2. निदेशक (सिस्टम), डीडीए – डीडीए वेबसाइट
3. सभी सचिव, डीडीए खेल परिसर – परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें

आर.ई/एसएफएससी

प्रस्तुत दस्तावेजों की चेकलिस्ट (अनुलग्नक-1)

| क्रमांक | प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज | प्रस्तुत किया गया | प्रस्तुत नहीं किया है | टिप्पणी |
|---------|---|-------------------|-----------------------|---------|
| 1 | फर्म के पंजीकरण की प्रति/ साझेदारी विलेख/ सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र | | | |
| 2 | व्यक्तिगत आवेदक या व्यक्ति/एजेंसी/साझेदारी प्रोफाइल का संक्षिप्त बायो डेटा | | | |
| 3 | पैन कार्ड की प्रति | | | |
| 4 | व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड) | | | |
| 5 | निवास प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड/बैंक प्रमाण पत्र/उपयोगिता बिल) | | | |
| 6 | अनुभव का प्रमाण | | | |
| 7 | कोचों का बायोडेटा और योग्यता | | | |
| 8 | कोचों की तस्वीरें | | | |
| 9 | कोचों का पहचान प्रमाण | | | |
| 10 | कोच का निवास प्रमाण | | | |
| 11 | अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर प्रदर्शन का प्रमाण पत्र | | | |
| 12 | पिछले दो वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति | | | |
| 13 | चार्टर्ड अकाउंटेंट से पिछले 2 वर्षों का ऑडिटेड विवरण | | | |
| 14 | आयकर निर्धारण आदेश | | | |
| 15 | अन्य दस्तावेज (नीचे निर्दिष्ट करें) | | | |

अन्य दस्तावेज़

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

बोलीदाता के हस्ताक्षर प्रतिष्ठान की मुहर

कॉम्प्लेक्स के लिए चेकलिस्ट

| क्रमांक | प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ | प्रस्तुत किया गया | प्रस्तुत नहीं किया है | टिप्पणी |
|---------|--|-------------------|-----------------------|---------|
| 1 | फर्म के पंजीकरण की प्रति/ साझेदारी विलेख/ सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र | | | |
| 2 | व्यक्तिगत आवेदक या व्यक्ति/एजेंसी/साझेदारी प्रोफाइल का संक्षिप्त बायो डेटा | | | |
| 3 | पैन कार्ड की प्रति | | | |
| 4 | व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड) | | | |
| 5 | निवास प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड/बैंक प्रमाण पत्र/उपयोगिता बिल) | | | |
| 6 | अनुभव का प्रमाण | | | |
| 7 | कोचों का बायोडाटा और योग्यता | | | |
| 8 | कोचों की तस्वीरें | | | |
| 9 | कोचों का पहचान प्रमाण | | | |
| 10 | कोच का निवास प्रमाण | | | |
| 11 | अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर प्रदर्शन का प्रमाण पत्र | | | |
| 12 | पिछले दो वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति | | | |
| 13 | चार्टर्ड अकाउंटेंट से पिछले 2 वर्षों का ऑडिटेड विवरण | | | |
| 14 | आयकर निर्धारण आदेश | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

मूल्यांकन पत्रक

| क्र.सं. नहीं | मानदंड | एई (सिविल) | आओ | सचिव |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| 1. | प्रतिबंधित व्यक्ति/एजेंसी | हां नहीं | हां नहीं | हां नहीं |
| 2. | वर्जित व्यक्ति | हां नहीं | हां नहीं | हां नहीं |
| 3. | डेक क्षेत्र अनुबंध | हां नहीं | हां नहीं | हां नहीं |
| | हस्ताक्षर | | | |

| क्र.सं. नहीं। | मानदंड | अंक/ वेटेज | स्कोरिंग गाइड | अंक प्रदान किये गये |
|------------------|---|---------------|---|---------------------|
| 1. | वर्षों में अनुभव | 15 | (2 वर्ष के लिए 0, 3 वर्ष के लिए 5 तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 1, अधिकतम 15) | |
| 2. | एनआईएस योग्य/सशस्त्र बल प्रमाणित | 10 | केवल एक को ही पुरस्कृत किया जाएगा | |
| 3. | अन्य समकक्ष योग्यताएँ | 5 | केवल एक को ही पुरस्कृत किया जाएगा | |
| 4. | अंतरराष्ट्रीय अनुभव | 10 | | |
| 5. | राष्ट्रीय अनुभव | 5 | | |
| 6. | राज्य का अनुभव | 2 | | |
| 7. | आवेदक कोचिंग करेगा | 15 | | |
| 8. | डीडीए/सरकारी एजेंसी से संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणपत्र | 20 | प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 20 | |
| 9. | डीडीए/सरकारी एजेंसी से संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणपत्र | 18 | प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक, अधिकतम 18 | |
| | कुल | 100 | | |

सचिव/एसएफएससी

आर.ई/एसएफएससी